कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/मा–स/पीईईओ/2017 दिनांकः– 21.7.2017

समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं
संस्था प्रधान– रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि

विषयः– ग्राम पंचायत स्तर पर नामित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पी0ई0ई0ओ0) के उत्तरदायित्वों क निर्वहन के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(1) प्राशि/संस्थागत/2017 दिनांक 28.01.17 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पी0ई0ई0ओ0) नामित किए जाकर उनके दायित्व निर्धारित किए हैं जिनकी पालना किया जाना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित रा0मा0वि, रा0उ0मा0वि0के संस्था प्रधान को दिया गया है । प्राप्त फीडबेक के अनुसार पी0ई0ई0ओ0 द्वारा इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति समुचित गंभीरता नहीं बरती जा रही है, अतः निर्देश दिए जाते हैं कि समय-समय पर इस विषयक जारी दिशा निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन करें तथा उनकी शतप्रतिशत पालना सुनिश्चत करें । कतिपय निर्देशों की ओर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट कर इनकी पालना करने के लिए पाबंद किया जाता हैः–

1. ग्राम पंचायत में संचालित पंचायती राज के अधीन समस्त प्रावि/उप्रावि के निरीक्षण एवं प्रशासनिक तथा अकादमिक पर्यवेक्षण कार्य।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित पंचायती राज के अधीन समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक से समन्वय करना ।
3. ग्राम पंचायत में स्थित पंचायती राज के अधीन आने वाले समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार करना।
4. राज्य सरकार, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक एवं जिला परियोजना संमन्वयक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
5. सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पंचायत रिसोर्स सेंटर फेसीलिटेटर (PRCF) को आवंटित समस्त कार्य ।
6. ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में उपस्थित होकर ग्राम पंचायत में स्थित पंचायती राज के अधीन संचालित समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
7. ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर बैठक का आयोजन पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में उनसे सम्बद्ध विद्यालय में अनिवार्यतः किया जावेगा।
8. कक्षा 1 से 5 में शिक्षा की गुणवता के उन्नयन हेतु संचालित एस.आई.क्यू.ई.(SIQE) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से सम्बद्ध विद्यालय, ग्राम पंचायत के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करते हुए इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
9. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति(SMC) एवं अभिभावक अध्यापक परिषद(PTA) की नियमित बैठकें आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष तथा सदस्यों से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे तथा प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करेगें।

10. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश उनके द्वारा स्वीकृत किए जाएंगें।
11. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के प्रतिवेदक अधिकारी पीईईओ होंगे।
12. ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षक/संस्था प्रधानों की शिकायतों की प्राथमिक जांच का कार्य सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
13. ग्राम पंचायत क्षेत्र के राप्रावि /राउप्रावि में पदस्थापित अध्यापकों की माह वार उपस्थिति प्रमाणित कर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करेगें । शिक्षकों का वेतन पी0ई0ई0ओ0 द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर ही आहरित किया जा सकेगा।
14. पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय स्तर पर एक शेडो उपस्थिति रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें संबंधित सभी प्रा0वि/उ0प्रा0वि0 के स्टाफ के नाम लिखें जाऐं । वह प्रतिदिन अव्वल समय पर फोन /व्हाटस-अप ग्रुप पर सम्बन्धित विद्यालयों से उनकी उपस्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अंकन इस शेडो रजिस्टर में करेगा ।
15. पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षैत्राधिकार में संचालित समस्त प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0 के शिक्षकों का एक व्हाटस-अप ग्रुप बनाएगा ताकि आवश्यक सूचनाएं/निर्देश आदि सम्बन्धित शिक्षकों तक तुरन्त पहुंच सके।

पुनः लेख है कि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः आप पूर्ण निष्ठा एवं सावधानीपूर्वक समस्त कार्य सुनिश्चित करे। इस सम्बंध मे कोई लापरवाही अथवा उदासीनता पायी गई तो सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(पी.सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज प्रा.शि. विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार,जयपुर ।
5. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
7. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
8. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्–समस्त।
10. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा समस्त।
11. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा समस्त

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

21.07.17
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर